अति महत्वपूर्ण

सं0 ई. 11011/27/2021-हिन्दी/ 86

भारत सरकार

केन्द्रीय जल आयोग

सेवा भवन,

रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली-110066

दिनांकः 09 दिसंबर, 2024

परिपत्र

विषयः राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) एवं नियम 5 का अनुपालन। (मद सं.5)

सदस्य (जल आयोजना एवं परियोजना),केंद्रीय जल आयोग महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 30 सितंबर, 2024 को आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 157वीं बैठक में क्षेत्रीय कार्यालयों की तिमाही रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान यह पाया गया कि केंद्रीय जल आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों में तिमाही प्रगति रिपोर्ट में नियम 5 एवं धारा 3(3) के अनुपालन के संबंध में प्रगति हुई है। अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि इस संबंध में प्रगति को कायम रखने तथा भविष्य में राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार राजभाषा कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु सभी उपाय किए जाएं।

अतः अनुरोध है कि अपने अधीन सभी अधीनस्थ कार्यालयों (परिमंडल, मंडल, उप मंडल, प्रबोधन और प्रबोधन एवं मूल्यांकन) में **राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) एवं नियम 5 का भविष्य में भी सदैव पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करें।**

आनंद

(आनंद चन्द्र मल्लिक)

निदेशक (स्थापना-3) एवं राजभाषा प्रभारी

दूरभाष- 011-29583459/ईमेल:acmallick@nic.in

केंद्रीय जल आयोग के सभी क्षेत्रीय कार्यालय (वेबसाइट के माध्यम से)।